# न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट सरमथुरा जिला धौलपुर

पीठासीन अधिकारीः- श्री मौहम्मद ताहिर आर.ए.एस.

उनवान

## धीरसिंह वगैरा बनाम सरकार वगैरा

1. धीरसिंह पुत्र रामस्वरूप
2. गजेन्द्रसिंह पुत्र रामस्वरूप
3. शारदादेवी पुत्री रामस्वरूप
4. सरोजदेवी पुत्री रामस्वरूप
5. गुडियादेवी पुत्री रामस्वरूप
6. नहनीदेवी पुत्री रामस्वरूप जाति ठाकुर निवासी झिरी तहसील सरमथुरा हाल आबाद ग्राम बसईनवाब तहसील सैंपऊ

---वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरमथुरा वहैसियत लैण्ड होल्डर
2. तोताराम पुत्र ग्यासीराम
3. रामस्वरूप पुत्र ग्यासीराम
4. रामजीलाल पुत्र ग्यासीराम
5. पतिराम पुत्र ग्यासीराम
6. अशोक पुत्र ग्यासीराम जाति जाटव निवासी झिरी तहसील सरमथुरा
7. प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा सरमथुरा

---प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 136 एवं 369 एल.आर.रूल्स

प्रकरण संख्याः- 12/2017

दिनांकः- 29.6.2018

निर्णय

दावा वादीगण इस प्रकार पेश हुआ कि वादीगण आराजी खसरा नंबर 1853 रकबा 6बीघा, ख.नं.1961/2 रकबा 2-02 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 8बीघा 02विस्वा हाल ख.नं. 1913 रकबा 1.52हैक्टेयर, 669 रकबा 0.53 हैक्टैयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.50 हैक्टेयर वाके ग्राम झिरी पटवार हल्का झिरी नंबर-1 तहसील सरमथुरा के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। समस्त वादीगण उपरोक्त आराजी में 1/6-1/6 भाग के हिस्सेदार कृषक है तथा इसी प्रकार मौके पर सम्पूर्ण भाग पर काविज है। उक्त ख.नंबरान वादीगण को पिता रामस्वरूप से विरासतन प्रकान्त हुए हैं।

वादीगण गत ख.नंबरान1853रकबा 6.00बीघा,1961/2रकबा 2.02 बीघा एवं 370रकबा 2.00बीघा हाल ख.नंबर 1913रकबा 1.52हैक्टेयर, 669रकबा 0.53 हैक्टेयर व 386 रकबा 0.51हैक्टेयर के काबिज मालिक खातेदार काश्तकार है परन्तु वादीगण का दावा मात्र गत ख.नं. 1853 व 1961/2 हाल ख.नंबर 1913 व 669 पर है, शेष पर नहीं है।

गत ख.नंबर 1852 रकबा 0.15बीघा हाल ख.नंबर 1912 रकबा 0.19 हैक्टेयर वाके ग्राम झिरी पटवार हल्का झिरी-1 के काबिज खातेदार काश्तकार प्रतिवादीगण 2लगायत 6 तोताराम, रामस्वरूप, रामजीलाल, पंतिराम, अशोक पुत्रगण ग्यासीराम जाटव हैं। अन्य नंबर के भी उक्त लोग खातेदार है।

बन्दोबस्त उपरान्त जो हाल नवीन नक्शा तैयार किया गया है उसमें उपरोक्त गत ख.नम्बरान 1853 व 1961/2 हाल ख.नंबर 1913 व 669 को रकबे व स्थान के अनुसार अंकित नहीं किया गया है अर्थात् गत ख.नं.1853 व 1961/2 को जो पूर्व में गत ख.नं. 1852 हाल ख.नं.1912 व अन्य ख.नम्बरान 1911, 1912,1914,1915,1916,1917 के दक्षिणी भाग में बहुत बडे आकार में आयताकार रूप में स्थित था उसे अर्थात 1853 रकबा 6.00बीघा हाल ख.नंबर1913 रकबा 1.52हैक्टैयर को नवीन बन्दोबस्त द्वारा नवीन नक्शा में दक्षिणी दिशा की बजाय उत्तरी दिशा में ख0नंबर 1851 व 1854 के बीच में छोटा सा वर्गाकार के रूप में अंकित कर दिया है। उत्तरी दिशा उक्त दोनों नंबरों की जगह गत ख.नं.1852 हाल ख.नंबर 1912 का भाग है। इसी प्रकार गत ख.नंबर 1853रकबा 6.00 बीघा हाल ख.नंबर 1913 रकबा 1.52हैक्टेयर को उसके मूल स्थान से हटाकर जहां प्रतिवादीगण 2लगायत 6 की आराजीयात स्थित थी वहां अंकित कर दिया तथा गत ख.नंबर 1852 रकबा 0.15बीघा हाल ख.नंबर 1912 रकबा 0.19हैक्टेयर जो गत ख.नंबर 1853 के उत्तरी दिशा की तरफ था उसे मूल स्थान से हटाकर दक्षिणी दिशा में वादीगण की आराजी के स्थान पर अंकित कर दिया है। खेत जो कि आयताकार काफी बडा भू भाग था एवं ख.नंबर 1852 के दक्षिणी दिशा में था को नवीन बन्दोबस्त ने नवीन नक्शा में आयताकार बडे भूभाग की जगह छोटे वर्गाकार भूभाग के रूप ख.नंबर 1852 व 1854 के बीच में उत्तरी दिशा में अंकित कर दिया है जो कि गलत है व मौके के अनुसार नहीं है जिसे दुरूस्त किया जावे।

वादीगण को इसकी जानकारी गत सप्ताह होने पर उन्होंने प्रतिवादीगण से नक्शा दुरूस्ती हेतु आवेदन व निवेदन किया परन्तु उन्होंने इन्कार कर दिया कोई भी कार्यवाही नहीं की। गलत नक्शा की आड में अडौसी-पडौसी भी वादीगण की खातेदारी की आराजी को हडपने पर आमादा है।

वादीगण अपने विवादित आराजी जिसे नवीन बन्दोबस्त द्वारा नवीन नक्शा में गत नक्शा के अनुसार मूल स्थान, आकार से हटाकर आयताकार बडे भूभाग की जगह वर्गाकार एक छोटे से रूप में बना डाला है जो मौके एवं रिकॉर्ड के अनुसार नहीं है। इसके कारण प्रतिवादीगण से तनाव व मनमुटाव सा रहता है तथा उक्त लोग जबरन वादीगण की उक्त आराजी को हडपना चाहते है जिसके कारण नक्शा शुद्ध व दुरूस्त कराया जाना आवश्यक हो गया है। तोताराम वगैरा ने अपनी आराजी बैंक में रहन रख दी है इसी कारण बैंक पक्षकार है।

वादीगण अपने मौके व आकार के मुताबिक नवीन नक्शा को दुरूस्त करवाने के अधिकारी है एतर्थ दावेदार है। नक्शा ट्रेश में किया गया उक्त बदलाव गैरकानूनी रूप से बिना की आदेश के किया गया जो लिपिकीय भूल की श्रेणी में आता है जिसे दुरूस्त कराने के वादीगण अधिकारी है।

अतः वादीगण द्वारा हाल बन्दोबस्त के नवीन नक्शा में दुस्ती किया जाकर नवीन नक्शा में पूर्व नक्शा के मुताबिक तरमीम किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बाद तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। ऐसी स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। प्रतिवादी सं.1 भूमिधारी तहसीलदार सरमथुरा ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि ग्राम झिरी में ख.नंबर 1913 रकबा 1.52 हैक्टेयर एवं 1912 रकबा 0.19 हैक्टेयर की मेढ आपस में एक दूसरे से लगे हुए है। राजस्व रिकॉर्ड में ख.नंबर 1912 रकबा 0.19 हैक्टेयर तोताराम, रामस्वरूप, रामजीलाल, पतिराम, अशोक पिस.ग्यासीराम कौम जाटव के नाम दर्ज है एवं ख.नंबर 1913 रकबा 1.52 हैक्टेयर राजस्व रिकॉर्ड में रामस्वरूप पुत्र फूलसिंह कौम राजपूत के नाम दर्ज है। मौके पर ख.नंबर 1912 रकबा 0.19 क्षेत्रफल के आधार पर ख.नं. 1913 रकबा 1.52हैक्टेयर से बडा है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में ख.नंबर 1912 ख. नंबर 1913 से छोटा है। नक्शा बन्दोबस्ती के समय भू प्रबन्ध विभाग द्वारा सहवन से नक्शा शीट में डालते समय उल्टे नम्बर डाल दिये गये है। नक्शा शीट में ख.नंबर 1912 के स्थान पर 1913 एवं 1913 के स्थान पर 1912 नम्बर डाल दिया गया है परन्तु कृषक मौके पर पूर्व के हिसाब से ही काबिज है एवं समय-समय पर फसल ले रहे है। नक्शे में ख.नं.1912 के स्थान पर 1913 एवं 1913 के स्थान पर 1912 दर्ज किया जाना उचित होगा।

इस प्रकार वादीगण द्वारा दिये गये तथ्यों को पढा गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तहसीलदार सरमथुरा से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। समस्त तथ्यों का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि नक्शा बन्दोबस्ती के समय भू प्रबन्ध विभाग द्वारा सहवन से नक्शा शीट में डालते समय उल्टे नम्बर डाल दिये गये है। नक्शा शीट में ख.नंबर 1912 के स्थान पर 1913 एवं 1913 के स्थान पर 1912 नम्बर डाल दिया गया है। अतः आदेश दिये जाते है कि ग्राम झिरी के हाल खसरा नंबर 1913 के स्थान पर ख.नंबर 1912 एवं 1912 रकबा 0.19 हैक्टेयर के स्थान पर खसरा नंबर 1913 रकबा 1.52हैक्टेयर का अंकन राजस्व नक्शे में किया जावे।

निर्णय आज कोर्ट कैम्प में सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्डाधिकारी
सरमथुरा